

[2023] 10 एस. सी. आर 493:2023 आई. एन. एस. सी 635

/

दिल्ली के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की सरकार

बनाम

भारत का संघ व अन्य ।

(2023 की लिखित याचिका (सी) संख्या 678) 20 जुलाई, 2023

/

[डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, सीजेआई, पमिडीगंथम श्री नरसिम्हा और मनोज मिश्रा, जे. जे.]

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार (संशोधन) अध्यादेश 2023:एन. सी. टी. अध्यादेश 2023 की संवैधानिक वैधता में कहा गया है कि अनुच्छेद 239-ए. ए. (3) (बी) और 239-ए. ए. (7)-एन. सी. टी. अध्यादेश को ध्यान में रखते हुए राष्ट्रीय राजधानी के संबंध में संसद का अनन्य और पूर्ण अधिकार क्षेत्र है। 3 जी. एन. सी. टी. डी. अधिनियम में ए, जो अनुच्छेद 239-ए. ए. में संशोधन करता है, यह निर्धारित करता है कि विधानसभा को सातवीं अनुसूची की सूची II की प्रविष्टि 41 के संबंध में अनुच्छेद 239-ए. ए. में निर्धारित कानूनों को लागू करने की शक्ति होगी-एन. सी. टी. अध्यादेश भारत संघ और एन. सी. टी. डी. सरकार के बीच सेवाओं पर कार्यकारी शक्ति के वितरण के लिए एक नई योजना भी स्थापित करता है-आयोजित:यह तय किया जाना है कि क्या भारत संघ को सेवाओं पर कार्यकारी शक्ति प्रदान करने वाले विधि को लागू करने के लिए संसद की शक्ति का प्रयोग वैध है-इसके अलावा, अनुच्छेद 239 ए. ए. (7) (बी) और 239 ए. ए. (7) (ए) के बीच एक स्पष्ट संघर्ष, विधि बनाने की शक्ति की प्रकृति के संबंध में एन. सी. टी. डी. की शासन की संवैधानिक संरचना के संबंध में, जिस पर 2018 और 2023 के संविधान पीठ के फैसलों में विचार नहीं किया गया है-इसके मद्देनजर, सवाल, कि अनुच्छेद 239-ए. ए. (7) के तहत विधि बनाने के लिए संसद की शक्ति की रूपरेखा क्या है; और क्या संसद अनुच्छेद 239-ए. ए. (7) के तहत अपनी शक्ति का प्रयोग करते हुए एन. सी. टी. डी. के लिए शासन के संवैधानिक सिद्धांतों को निरस्त कर सकती है, जिसे संविधान पीठ को संदर्भित किया गया है-बड़ी पीठ का संदर्भ-राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार अधिनियम। 1991 -एस। 3 ए-भारत का संविधान-अनुच्छेद 239 एए, 239-एए (3) (ए), 239-एए (3) (बी), 239-एए (7) (ए), 239-एए (7) (बी) और सातवीं अनुसूची की सूची II की प्रविष्टि 41।

/

/

/

/

/

एन. सी. टी. दिल्ली सरकार बनाम भारत संघ सिविल

2017 की अपील सं. **2357**-निर्दिष्ट।

/

493

494

/

[2023] 10 एस सी आर।

/

सिविल मूल आधिकारिता :2023 की लिखित याचिका (सिविल) No.678।

(भारत के संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत)

डॉ. अभिषेक मनु सिंघवी, वरिष्ठ अधिवक्ता, अमित भंडारी, अमन शर्मा, शादन फरासत, सुश्री वारिशा फरासत, हर्षित आनंद, अमन नकवी, सुश्री हृषिका जैन, सुश्री नताशा महेश्वरी, सुश्री मेरगांका कुकरेजा, सिद्धार्थ सीम, अधिवक्ता।याचिकाकर्ता के लिए।

/

तुषार मेहता, एस. जी., आर. वेंकटरमानी, ए. जी., हरीश एन. साल्वे, संजय जैन, वरिष्ठ अधिवक्ता।, कानू अग्रवाल, पद्मेश मिश्रा, अर्काज कुमार, आनंद वेंकटरमानी, श्रीमती विजयलक्ष्मी वेंकटरमानी, विनायक मेहरोत्रा, सुश्री मानसी सूद, चितवन सिंघल, सुश्री सोनाली जैन, अभिषेक कुमार पांडे, रमन यादव, अरविंद कुमार शर्मा, सुश्री बानी दक्षित, डॉ. एन. विशाखमूर्ति, श्रीकांत नीलप्पा तेरदल, अधिवक्ता।उत्तरदाताओं के लिए।न्यायालय का निम्नलिखित आदेश पारित किया गया था:

/

आदेश

/

1. 19 मई 2023 को, इस निर्णय की संविधान पीठ द्वारा दिल्ली की राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र सरकार में फैसला सुनाए जाने के आठ दिन बाद

v. भारत संघ 1 ["2023 संविधान पीठ का निर्णय"],

राष्ट्रपति ने संविधान के अनुच्छेद 123 के अंतर्गत शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार (संशोधन) अध्यादेश 2023 ["एन. सी. टी. अध्यादेश"] जारी किया। एन. सी. टी. अध्यादेश राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार अधिनियम 1991 ["जी. एन. सी. टी. डी. अधिनियम"] में संशोधन करता है। अध्यादेश की प्रस्तावना में कहा गया है कि अनुच्छेद 239-ए (3) (बी) और 239-ए (7) को देखते हुए राष्ट्रीय राजधानी के संबंध में संसद का अनन्य और पूर्ण अधिकार क्षेत्र है: "और चूंकि, विभिन्न आयोगों की विभिन्न रिपोर्टों को ध्यान में रखते हुए और चूंकि दिल्ली राष्ट्र की राजधानी है, इसलिए संविधान ने सामान्य रूप से अनुच्छेद 239-ए और विशेष रूप से अनुच्छेद 239-ए (7) के साथ पठित अनुच्छेद 239-ए (3) (बी) को शामिल करते हुए संसद में कुछ विशेष और पूर्ण अधिकार क्षेत्र बनाए रखा।

/

/

/

[...]

और जहां अनुच्छेद 239 ए के साथ पठित अनुच्छेद 239 (एल) को प्रभावी बनाने और अनुच्छेद की शक्तियों का प्रयोग करने के उद्देश्य से

239 ए. ए. (3) (बी) और संविधान का अनुच्छेद 239 ए. ए. (7)

1 2017 ए की सिविल अपील संख्या 2357

/

495

दिल्ली का राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र सरकार बनाम भारत और भारत का संघ।

भारत, जिसमें अनुच्छेद 239-ए के अंतर्गत प्रावधानों को पूरक करने की शक्ति शामिल है, जिसमें इसके उपयुक्त संशोधन करने की शक्ति भी शामिल है, एक अध्यादेश जिसका नाम है -

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार (संशोधन) अध्यादेश, 2023 का प्रस्ताव एन. सी. टी. डी. और अन्य संबद्ध मुद्दों के कामकाज में तैनात सेवाओं के प्रशासन की एक व्यापक योजना प्रदान करने के लिए है, जिससे एन. सी. टी. डी. में रहने वाले लोगों के स्थानीय और घरेलू हितों को संतुलित किया जा सके। "

/

(जोर दिया गया)

/

2. एन. सी. टी. अध्यादेश जी. एन. सी. टी. डी. अधिनियम 1991 में धारा 3 ए को सम्मिलित करता है। धारा 3 ए में कहा गया है कि किसी भी न्यायालय के किसी भी निर्णय, आदेश या डिक्री में कुछ भी निहित होने के बावजूद, विधान सभा को संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची II की प्रविष्टि 41 के संबंध में अनुच्छेद 239-ए में निर्धारित कानूनों को लागू करने की शक्ति होगी। इस प्रावधान में सूची II की प्रविष्टि 41 को एन. सी. टी. डी. की विधायी क्षमता से बाहर रखा गया है, इसके अलावा सूची II की प्रविष्टि 1, 2 और 18 को अनुच्छेद 239-ए. ए. द्वारा बाहर रखा गया है। वास्तव में, धारा 3 ए अनुच्छेद 239-ए में संशोधन करती है।

/

3. सूची II की प्रविष्टि 41 के संबंध में एन. सी. टी. डी. की विधायी शक्ति को बाहर करने के अलावा, एन. सी. टी. अध्यादेश भारत संघ और एन. सी. टी. डी. सरकार के बीच सेवाओं पर कार्यकारी शक्ति के वितरण के लिए एक नई योजना भी स्थापित करता है। इस योजना का संक्षिप्त विवरण नीचे दिया गया है:

/

(i) राष्ट्रपति एन. सी. टी. डी. में और उसके लिए किसी भी प्राधिकरण, बोर्ड, आयोग या वैधानिक निकाय का गठन करेगा, या निकाय में किसी भी पदाधिकारी या सदस्य की नियुक्ति या नामांकन करेगा।

/

[धारा 45 डी]

(ii) राष्ट्रीय राजधानी सिविल सेवा प्राधिकरण ["प्राधिकरण"] का गठन किया गया है। प्राधिकरण में एन. सी. टी. डी. के मुख्यमंत्री, एन. सी. टी. डी. सरकार के मुख्य सचिव और एन. सी. टी. डी. सरकार के प्रधान गृह सचिव शामिल होंगे। निर्णय उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के बहुमत से लिए जाते हैं।

/

[धारा 45 ई]

/

496

/

[2023] 10 एस सी आर।

/

(iii) प्राधिकरण के पास, अन्य बातों के साथ-साथ, एन. सी. टी. डी. के मामलों में सेवारत समूह ए के अधिकारियों और डी. ए. एन. आई. सी. एस. के अधिकारियों (सूची II की प्रविष्टियों के संबंध में सेवारत अधिकारियों को छोड़कर) के स्थानांतरण और नियुक्ति की सिफारिश करने, अनुशासनात्मक कार्यवाही के उद्देश्य से 'सतर्कता' और 'गैर-सतर्कता' के विषय से जुड़े और उसके अंतर्गत आने वाले सभी मामलों पर सिफारिश करने, स्थानांतरण और नियुक्ति पर सिफारिश करने और उन पर अधिकारियों की उपयुक्तता पर शक्ति है।

/

पोस्टिंग।[धारा 45 एच]

(iv) उपराज्यपाल प्राधिकरण द्वारा की गई सिफारिश को पुनर्विचार के लिए वापस कर देगा यदि वह प्राधिकरण की सिफारिश से अलग है। उपराज्यपाल और प्राधिकरण के बीच मतभेद की स्थिति में, उपराज्यपाल का निर्णय होगा -

/

अंतिम।[धारा 45 एच]

(v) ऐसे प्रस्ताव जो अन्य बातों के साथ-साथ एन. सी. टी. डी. की शांति, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े समुदाय के हितों को प्रभावित कर सकते हैं, या ऐसे मामलों पर प्रस्ताव जो केंद्र सरकार, राज्य सरकार, भारत के सर्वोच्च न्यायालय या दिल्ली के उच्च न्यायालय के साथ एन. सी. टी. डी. सरकार के संबंधों को प्रभावित करते हैं, उन्हें राय के लिए उपराज्यपाल के समक्ष रखा जाएगा।[अनुभाग

/

/

45 जे (4)]

(vi) मंत्रिपरिषद या विभागों के सचिव मंत्रिपरिषद या संबंधित विभागों के एक प्रस्ताव को उपराज्यपाल के ध्यान में लाएंगे यदि उनकी राय है कि प्रस्ताव विधि के अनुसार नहीं है या यह प्रस्ताव एन. सी. टी. डी. को केंद्र सरकार, राज्य सरकारों, सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय के साथ "विवाद" में लाएगा।

/

दिल्ली।[धारा 45 के]

4. याचिकाकर्ता ने 2023 के अध्यादेश की संवैधानिक वैधता को चुनौती देते हुए संविधान के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत कार्यवाही शुरू की है।

/

5. 2023 के अध्यादेश को तीन व्यापक आधारों पर चुनौती दी गई है: (i) धारा 3 ए, सूची II की प्रविष्टि 41 पर एन. सी. टी. डी. की विधायी शक्ति को छोड़कर, प्रभावी रूप से एक संवैधानिक प्रावधान, यानी अनुच्छेद 239-ए. ए. (3) (ए) में संशोधन करती है।

/

497

दिल्ली का राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र सरकार बनाम भारत और भारत का संघ।

(ii) एन. सी. टी. अध्यादेश के प्रावधान एन. सी. टी. डी. की निर्वाचित सरकार से राष्ट्रीय राजधानी के दिन-प्रतिदिन के प्रशासन पर एन. सी. टी. डी. सरकार में निहित कार्यकारी शक्ति को हटा देते हैं और इसे विशेष रूप से उपराज्यपाल, एक नामित प्रमुख के पास रखते हैं। सेवाओं के विशिष्ट संदर्भ में 2023 के संविधान पीठ के निर्णय में कहा गया है कि लोग परम संप्रभु हैं और कार्यपालिका "जवाबदेही की तीन श्रृंखला" के माध्यम से जनता के प्रति जवाबदेह है। जवाबदेही की तिहरी श्रृंखला के लिए स्थायी अधिकारियों को निर्वाचित सरकार के प्रति, निर्वाचित सरकार को विधायिका के प्रति और विधायिका को जनता के प्रति जिम्मेदार होने की आवश्यकता होती है। 2023 का अध्यादेश सामूहिक जिम्मेदारी के सिद्धांतों और जवाबदेही की तीन श्रृंखलाओं को निरस्त करता है जो एन. सी. टी. डी. की शासन संरचना के महत्वपूर्ण पहलू हैं।

/

/

(iii) अनुच्छेद 239-ए (7) (बी) संवैधानिक योजना में एक सामान्य प्रावधान नहीं है। संविधान के अन्य प्रावधान (जैसे अनुच्छेद ए, 244 ए, 312, भाग डी, पांचवीं अनुसूची और पैराग्राफ 21 छठी अनुसूची) यह भी निर्धारित करते हैं कि संसद द्वारा बनाए गए कुछ कानूनों को संवैधानिक संशोधन नहीं माना जाएगा, हालांकि इसका प्रभाव संविधान में संशोधन करने का है। अनुच्छेद 239-ए (7) (बी) संसद को अनुच्छेद 239-ए में एन. सी. टी. डी. के लिए परिकल्पित शासन की संवैधानिक योजना को समाप्त करने के लिए व्यापक शक्तियां प्रदान नहीं करता है; और

/

/

(iv) राष्ट्रपति अनुच्छेद 123 के अंतर्गत अध्यादेश जारी करने की शक्ति का प्रयोग नहीं कर सकते थे क्योंकि ऐसी परिस्थितियां मौजूद नहीं थीं जो तत्काल कार्रवाई की आवश्यकता होती

थीं।जब संसद का मानसून सत्र कुछ महीनों में शुरू होने वाला था, तब अध्यादेश जारी करने की कोई जल्दबाजी नहीं थी।

/

/

6. एन. सी. टी. सरकार ने एन. सी. टी. अध्यादेश 2 पर भी इस आधार पर रोक लगाने की मांग की है कि यह एन. सी. टी. डी. सरकार को अपने लोकप्रिय जनादेश को पूरा करने से रोकता है।वरिष्ठ अधिवक्ता श्री अभिषेक मनु सिंघवी ने ऐसे उदाहरणों पर प्रकाश डाला जहां वरिष्ठ नौकरशाहों ने संबंधित मंत्री के राष्ट्रीय आपदा को बुलाने के आदेश की अनदेखी की है

2 2023 का आई. ए. सं. 130505

/

498

/

[2023] 10 एस सी आर।

/

दिल्ली में बाढ़ की स्थिति में सहायता के लिए राहत बल, सतर्कता निदेशालय ने प्रभारी मंत्री के पूर्व आदेशों का सीधा उल्लंघन करते हुए कार्य आवंटन आदेश जारी किया है, और उपराज्यपाल ने निर्वाचित सरकार के साथ किसी भी परामर्श के बिना एन. सी. टी. डी. सरकार के विभिन्न विभागों के साथ काम करने वाले 437 सलाहकारों के अनुबंध को समाप्त कर दिया है।इसके अतिरिक्त, उपराज्यपाल द्वारा 5 जुलाई 2023 को विशेषज्ञों/साथी/सलाहकारों की नियुक्ति को समाप्त करने के लिए जारी पत्र पर भी रोक लगाने की मांग की गई है।

/

7. भारत संघ की ओर से पेश हुए विद्वान सॉलिसिटर जनरल श्री तुषार मेहता ने 2023 के संविधान पीठ के निर्णय के पैराग्राफ 95 का संदर्भ दिया।उक्त अनुच्छेद में, इस न्यायालय ने निम्नलिखित रूप में टिप्पणी की:“संघ की विधायी शक्ति संघ सूची के अलावा राज्य सूची और समवर्ती सूची के अंतर्गत सभी प्रविष्टियों तक फैली हुई है।संघ की कार्यकारी शक्ति, राज्य सूची में किसी भी विषय से संबंधित कार्यकारी शक्ति पर विधि के अभाव में, केवल उन तीन प्रविष्टियों से संबंधित मामलों को शामिल करेगी जिन्हें एन. सी. टी. डी. के विधायी क्षेत्र से बाहर रखा गया है। परिणामस्वरूप, किसी विधि या संविधान के प्रावधान के अभाव में, केंद्र सरकार की ओर से कार्य करने वाले उपराज्यपाल की कार्यकारी शक्ति अनुच्छेद 239 ए (3) (ए) में उल्लिखित तीन प्रविष्टियों से संबंधित मामलों पर ही लागू होगी, जो अनुच्छेद 73 की सीमाओं के अधीन होगी।[...] हालाँकि, यदि संसद किसी ऐसे विषय पर कार्यकारी शक्ति प्रदान करने वाला विधि

बनाती है जो एन. सी. टी. डी. के अधिकार क्षेत्र के भीतर है, तो उपराज्यपाल की कार्यकारी शक्ति को उस सीमा तक संशोधित किया जाएगा, जैसा कि उस विधि में प्रावधान किया गया है।

/

/

/

8. उपराज्यपाल की ओर से पेश वरिष्ठ वकील श्री हरीश साल्वे ने कहा कि सलाहकारों को बर्खास्त कर दिया गया क्योंकि उनकी नियुक्ति मनमाना थी।

/

9. अनुच्छेद 239-ए (3) (ए) में कहा गया है कि एन. सी. टी. डी. की विधानसभा को राज्य सूची और समवर्ती सूची में गिने गए मामलों के संबंध में कानून बनाने की शक्ति है, जहां तक कि ऐसा मामला केंद्र शासित प्रदेशों पर लागू होता है, सिवाय सूची II की प्रविष्टियों 1,2 और 18 और सूची II की प्रविष्टियों 64,65 और 66 को छोड़कर, जहां तक वे उपरोक्त प्रविष्टियों से संबंधित हैं। 2023 की संविधान पीठ के समक्ष विचार के लिए मुद्दा यह था कि क्या अनुच्छेद 239-ए (3) (ए), सूची II की प्रविष्टि 41 पर एन. सी. टी. डी. की विधायी क्षमता को निहितार्थ से बाहर करता है। संविधान पीठ ने कहा कि अनुच्छेद 239-ए उन प्रविष्टियों के अलावा किसी भी प्रविष्टि पर एन. सी. टी. डी. की विधायी शक्ति को बाहर नहीं करता है जिन्हें स्पष्ट रूप से बाहर रखा गया है। इस न्यायालय ने यह भी कहा कि ए

/

/

499

दिल्ली का राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र सरकार बनाम भारत और भारत का संघ।

एन. सी. टी. डी. के पास सूची II की प्रविष्टि 41 पर कार्यकारी शक्ति होगी क्योंकि कार्यकारी शक्ति विधायी शक्ति के साथ सह-व्यापक है।

10. चूंकि अनुच्छेद 239-ए (3) (बी) को ध्यान में रखते हुए, संसद के पास सूची II की प्रविष्टि 41 पर विधायी शक्ति भी है, जो उन मामलों पर भारत संघ और एन. सी. टी. डी. सरकार की कार्यकारी शक्ति की सीमा पर एक संबंधित मुद्दा है जिन पर संसद और एन. सी. टी. डी. की विधानसभा दोनों के पास कानून बनाने की शक्ति है।

/

11. अनुच्छेद 73 और अनुच्छेद 162 3 के सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए, 2023 की संविधान पीठ ने कहा कि जिन प्रविष्टियों पर संसद की भी विधायी क्षमता है, एन. सी. टी. डी. की कार्यकारी शक्ति संविधान के प्रावधानों या संसद द्वारा बनाए गए विधि द्वारा भारत संघ को स्पष्ट रूप से प्रदत्त कार्यकारी शक्ति के अधीन और सीमित होगी। इस प्रकार, विधि की स्थिति यह है कि संसद द्वारा अधिनियमित एक विधि "सेवाओं" पर एन. सी. टी. डी. की कार्यकारी शक्ति को सीमित कर सकता है।

/

12. भारत संघ को सेवाओं पर कार्यकारी शक्ति प्रदान करने वाला विधि बनाने की संसद की शक्ति विवाद में नहीं है। यह अब विधि की एक तय स्थिति है। हालाँकि, इस न्यायालय को 2023 के अध्यादेश की संवैधानिक वैधता पर निर्णय लेते समय यह तय करना होगा कि इस तरह की शक्ति का प्रयोग वैध है या नहीं।

/

13. इस स्तर पर दो प्रारंभिक विचार उत्पन्न होते हैं। पहला धारा 3 ए के आयात पर है। धारा 3 ए एन. सी. टी. डी. की विधायी क्षमता से सूची II की प्रविष्टि 41 को हटा देती है। एन. सी. टी. डी. की विधायी शक्ति से प्रविष्टि 41 के अपवर्जन पर, एन. सी. टी. डी. की सरकार के पास सेवाओं पर कार्यकारी शक्ति समाप्त हो जाती है क्योंकि कार्यकारी शक्ति विधायी शक्ति के साथ सह-समाप्त होती है। इसलिए, यह मुद्दा कि क्या कोई विधि प्रविष्टि 41 पर एन. सी. टी. डी. की कार्यकारी शक्ति को पूरी तरह से हटा सकता है, धारा 3 ए की वैधता के साथ जुड़ा हुआ है।

14. 2023 के अध्यादेश की प्रस्तावना में कहा गया है कि विधि अनुच्छेद 239-ए (3) (बी) और अनुच्छेद 239-ए (7) के अंतर्गत शक्तियों का प्रयोग करते हुए बनाया गया है। अनुच्छेद 239-ए (3) (बी) में कहा गया है कि संसद को एन. सी. टी. डी. के लिए "किसी भी मामले" के संबंध में कानून बनाने की शक्ति है। अनुच्छेद 239 -

/

/

/

3 अनुच्छेद 73 के परंतुक में कहा गया है कि भारत संघ के पास उन मामलों पर कार्यकारी शक्ति नहीं होगी जिन पर राज्य भी अधिनियम बना सकता है जब तक कि ऐसी शक्ति संसद के संविधान या विधि द्वारा स्पष्ट रूप से प्रदान नहीं की जाती है। अनुच्छेद 162 के परंतुक में कहा गया है कि जिन मामलों पर राज्य विधानमंडल और संसद दोनों विधि बना सकते हैं, राज्यों की कार्यकारी शक्ति संसद के विधि या संविधान द्वारा भारत संघ को स्पष्ट रूप से प्रदत्त कार्यकारी शक्ति के अधीन और सीमित होगी।

/

/

[2023] 10 एस सी आर।

/

ए. ए. (7) (ए) संसद को अनुच्छेद 239-ए. ए. के प्रावधानों को "प्रभावी बनाने या पूरक बनाने" के लिए और इसके सभी आनुषंगिक मामलों के लिए एक विधि बनाने की शक्ति प्रदान करता है। अनुच्छेद 239-ए (7) (बी) में कहा गया है कि ऐसी विधि को संविधान में संशोधन नहीं माना जाएगा, भले ही वह विधि संविधान में संशोधन करता हो या संविधान में संशोधन का प्रभाव रखता हो। अनुच्छेद 239-ए (7) नीचे दिया गया है:

/

"(7)(क) संसद, विधि द्वारा, पूर्वगामी खंडों में निहित प्रावधानों को प्रभावी बनाने या पूरक बनाने के लिए और उनके सभी आनुषंगिक या परिणामी मामलों के लिए प्रावधान कर सकती है। (ख) ऐसी कोई विधि जो उपखंड (क) में निर्दिष्ट है, अनुच्छेद 368 के प्रयोजन के लिए इस संविधान का संशोधन नहीं मानी जाएगी, इसके बावजूद कि इसमें कोई प्रावधान है जो इस संविधान में संशोधन करता है या प्रभाव डालता है या संशोधन करता है। "

/

15. जबकि अनुच्छेद 239-ए (7) (ए) में कहा गया है कि विधि को केवल अनुच्छेद 239-ए के प्रावधानों को प्रभावी या पूरक बनाना चाहिए, अनुच्छेद 239-ए (7) (बी) में कहा गया है कि विधि को संविधान में संशोधन नहीं माना जाएगा, भले ही इसका प्रभाव अनुच्छेद 239-ए में संशोधन करने का हो। अनुच्छेद 239-ए (7) (ए) का प्राथमिक अध्ययन इंगित करता है कि विधि अनुच्छेद 239-ए में एन. सी. टी. डी. के लिए परिकल्पित मौजूदा संवैधानिक संरचना को नहीं बदलेगा। हालांकि, अनुच्छेद 239-ए (7) (बी) के प्रथम दृष्टया पढ़ने से पता चलता है कि अनुच्छेद 239-ए (7) (ए) के अंतर्गत अधिनियमित विधि एन. सी. टी. डी. के शासन की मौजूदा संवैधानिक संरचना को बदल सकता है। एन. सी. टी. डी. की शासन की संवैधानिक संरचना के साथ विधि बनाने की शक्ति की प्रकृति पर दो खंडों के बीच इस स्पष्ट संघर्ष को इस न्यायालय द्वारा हल करने की आवश्यकता है।

/

/

16. न तो 2018 की संविधान पीठ के निर्णय 4 और न ही 2023 की संविधान पीठ के निर्णय में अनुच्छेद 239-ए (7) की व्याख्या पर विचार किया गया है। हमारी यह सुविचारित राय है कि रिट याचिका के निपटारे के लिए इस न्यायालय को संविधान की व्याख्या के रूप में विधि के एक महत्वपूर्ण प्रश्न का उत्तर देना आवश्यक है। तदनुसार हम निम्नलिखित प्रश्नों को संविधान पीठ के पास भेजते हैं:

/

(i) अनुच्छेद 239-ए (7) के अंतर्गत विधि बनाने की संसद की शक्ति की रूपरेखा क्या है; और

/

(ii) क्या संसद अनुच्छेद 239-ए. ए. (7) के अंतर्गत अपनी शक्ति का प्रयोग करते हुए एन. सी. टी. डी. के लिए शासन के संवैधानिक सिद्धांतों को निरस्त कर सकती है।

4 राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार बनाम भारत संघ, 2017 की सिविल अपील संख्या 2357 ए

/

501

दिल्ली का राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र सरकार बनाम भारत और भारत का संघ।

17. हमारी यह भी राय है कि एन. सी. टी. डी. के प्रशासन पर भारत संघ और एन. सी. टी. डी. सरकार के बीच लंबी कानूनी लड़ाई के कारण संविधान पीठ के लिए रिट याचिका का निपटारा करना उचित होगा। हम रजिस्ट्री को निर्देश देते हैं कि वह इस याचिका के कागजात भारत के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष प्रशासनिक पक्ष में एक संविधान पीठ के गठन के लिए रखे ताकि ऊपर बताए गए प्रश्नों का उत्तर दिया जा सके और याचिका का निपटारा किया जा सके। एन. सी. टी. अध्यादेश पर रोक लगाने की मांग करने वाले 2023 के आई. ए. सं. 130505 को खारिज कर दिया जाता है।

/

निधि जैन

संविधान पीठ को भेजे गए प्रश्न।

(सहायक: तमन्ना, एलसीआरए)

/

/

/

/

/

/